कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in Tel./Fax :- 0135 – 2442052

पत्रांकः– 1194 / 12-1(2), दिनांक, मुनिकीरेती, 30 / 11 / 2015

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर।

विषय :– जनपद– टिहरी गढवाल के अन्तर्गत दंदेली भण्डोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.188 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्र संख्या–1448 **FP/UK/ROAD/10369/2015** दिनांक 09–11–2015।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विषयक सन्दर्भित पत्र जो वन संरक्षक भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड मुनिकीरेती को सम्बोधित तथा इस कार्यालय एवं आपको पृष्ठांकित है में भारत सरकार द्वारा कतिपय अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। दी गयी शर्तो के कम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

1. <u>शर्त संख्या–01.</u> प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.376 हे0 ग्राम सिरणी सिविल सोयम भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु @ 2,09,366.00 प्रति हे0 की दर से कुल मु0 4,97,454.00 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावक द्वारा जमा की जानी होगी। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–596/3–5–2 दिनांक 19–08–2015 के अनुसार निर्धारित किया गया है।
2. <u>शर्त संख्या–01.1.</u> शर्त संख्या–01 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम सिरणी सिविल सोयम भूमि जिसका क्षेत्रफल 2.376 हे0 है को भारतीय वन अधिनिमय 1927 के तहत छः माह के अन्तर्गत वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
3. <u>शर्त संख्या–02.</u> के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस–पास/ मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु 6.00 किमी0 @ 3,22,102.00 प्रति किमी0 मु0 19,32,612.00 की धनराशि जमा करनी होगी।
4. <u>शर्त संख्या–03.</u> एन0पी0बी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.188 हे0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 10,03,860.00 धनराशि जमा करनी होगी।
5. <u>शर्त संख्या–04.</u> प्रस्तावक द्वारा निर्देशानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।
6. <u>शर्त संख्या– 05.</u> शर्त सख्या–03 के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्वता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
7. <u>शर्त संख्या–</u> 05 व 06 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उक्त मदो की देय धनराशियो को RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal SB A/C No. 037100101025229 कार्पोरेशन बैंक लोधी शाखा नई दिल्ली में जमा की जायेगी। RTGS हेतु कॉपोरेशन बैंक का IFSC Code CORP0000371, MICR Code 110017007 एवं ब्रॉच कोड 000371 है। विस्तृत जानकारी हेतु सन्दर्भित पत्र का अवलोकन भी करना चाहे।
8. <u>शर्त संख्या– 07.</u> के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिये जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा इस आशय का प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाना होगा।
9. <u>शर्त संख्या– 08.</u> के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/निर्धारित प्रमाण–पत्रों को उपलब्ध कराया जाना है।

10. <u>शर्त संख्या– 09.</u> के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

11. <u>शर्त संख्या–11</u>. मलवा निस्तारण वन भूमि में होने की स्थिति में प्रॉक्कलन अलग से प्रस्तुत किया जावेगा। तथा वांछित धनराशि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायी जावेगी।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।

(राहुल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– 1194 /12-1(2) दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून कार्यालय से दूरभाष पर हुई वार्ता के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी टिहरी गढवाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राजि अधिकारी सकलाना राजि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राहुल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
30.11.15